न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 85 / 2020 / आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. राजकुमार पुत्र मालीराम जाति सैनी निवासी रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री रेखराज पारीक वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – **19.01.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 527, 528, 536, 537, 538, 539 किता 6 कुल रकबा 4.6700 है0 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है उक्त भूमियों में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के हक हिस्से की खातेदारी राजेश पुत्र मालीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम राजकुमार है। जो प्रार्थी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है परन्तु प्रार्थी की उपरोक्त भूमियों की खातेदारी में प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूल एवं लापरवाही से या सह्वहन से राजकुमार के स्थान पर राजेश दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त रिकार्ड अशुद्धी की पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी आवेदक को कभी रिकार्ड देखने की आवश्यकता ही हूई। अब असरा करीब दस रोज पूर्व

आवश्यक कार्यवंश आवेदक ने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कि तो पया की प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में राजकुमार के स्थान पर राजेश नाम दर्ज है तो इसके पश्चात यथाशिघ्र आवेदक को नकल लेकर दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आश्यक हुआ है। वाद कारण अरसा करीब 5–7 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक के नाम को दुरूस्त करने का इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 527, 528, 536, 537, 538, 539 किता 6 कुल रकबा 4. 6700 है0 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजेश के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम राजकुमार दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम राजेश के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम राजकुमार दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि राजकुमार पुत्र मालीराम के ग्राम रामगढ खसरा नम्बर 527 528 536 537 538 539 में नामान्तकरण सं0 921 दिनांक 20.09.2017 को

मालीराम पुत्र भूरा से राजेश पुत्र मानीराम के नाम से विरासत में खातेदारी प्राप्त हुई थी। आवेदक के आधारा कार्ड राशन कार्ड मतदाता सुची मं आवेदक का नाम राजकुमार सैनी पुत्र मालीराम अंकित है जबकि ग्राम पंचायत दांतारामगढ द्वारा भी राजेश पुत्र मालीराम व राजकुमार सैनी पुत्र मालीराम दोनों एक ही व्यकित होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। राजेश पुत्र मालीराम के स्थान पर राजकुमार सैनी पुत्र मालीराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्टं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 527, 528, 536, 537, 538, 539 किता 6 कुल रकबा 4.6700 है0 वाके ग्राम रामगढ पटवार हल्का रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज प्रार्थी का नाम राजेश पुत्र मालीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम राजेश उर्फ राजकुमार पुत्र मालीराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ